


6 ²/₂₀₂₄

पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराने का कथन किया था कि प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि ख.न. 743 रकबा 0.18 हैट राजपुरा तहसील पाटन के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। तहसीलदार जी के आदेश से 07.06.2023 को सीमाज्ञान करवाया गया। मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी के आदेश पारित किये जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व वि अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक रिकॉर्ड राजस्व राजपुरा पटवार हल्का राजपुरा तहसील पाटन स्थित 743 रकबा 0.18 हैट प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण बाकत स्वीकार किये जाने योग्य है।


(राजवीर सिंह)
उपलब्ध
नीमकाथान

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता है कि राजस्व पटवार हल्का राजपुरा तहसील पाटन स्थित खसरा नं. 743 रकबा 0.18 हैट का प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 07.06.2023 पत्थरगढी की जा पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्य की जायें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। फाईल नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


(राजवीर सिंह)
उपलब्ध
नीमकाथान